भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3068

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

सम्बल योजना

3068. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा हेतु सम्बल योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पन्ना, कटनी जिलों और छतरपुर जिले के खुजराहो शहर में कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की सहायता हेतु वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह और विधवा गृहों की स्थापना और इन्हें शुरु किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के उद्देश्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल घटक को कार्यान्वित कर रही है। संबल घटक में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत शामिल हैं। इसका विवरण इस प्रकार है:

(i) **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना** दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सहित सेवाओं की एक एकीकृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। वर्तमान में देश भर में स्वीकृत 878 वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) में से 802 ओएससी कार्यशील हैं और अब तक 10.12 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

(ii) **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)** एक टोल फ्री 24x7x365 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता है जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही नंबर (181) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त यह देश भर में महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। महिला हेल्पलाइन-181 पैंतीस (35) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल राज्य डब्ल्यूएचएल को कार्यान्वित नहीं कर रहा है) में कार्यशील है और इसके द्वारा अब तक लगभग 81.64 लाख महिलाओं की सहायता की जा चुकी है।

(iii) **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना** दिनांक 22 जनवरी, 2015 को आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को रोकना, बालिकाओं का जीवन और सुरक्षा तथा उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने बालिकाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से माहवार विशिष्ट विषयों के साथ जिला स्तर पर सुझाए गए अभिसरण कार्यकलापों हेतु एक विषयगत कैलेंडर तैयार किया है।

(iv) **नारी अदालत** मिशन शक्ति के संबल घटक के अंतर्गत एक नया घटक है। इसे वर्तमान में पायलट आधार पर असम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग): मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में एक-एक ओएससी को मंजूरी दी है और तीनों ओएससी कार्यशील हैं। इन जिलों में स्वाधार गृह (जिसे अब शक्ति सदन कहा जाता है)स्थापित नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह योजना मांग आधारित है और मांग बढ़ाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निर्भर है।

*****